

नों एवं अभि. नों  
मि. के हस्ताक्षर

(11)

137

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सकिट कोर्ट रोवा जिला रोवा म०प्र०  
प्रकाश क्रमांक R-1588-114

श्री लखेश्वर सिंह ८५-६६॥  
24-4-14



R-1588-114

देवातन्त्र  
त्रिपाठी पिता श्री रामकृपाल त्रिपाठी निवासी ग्राम करही

हनुमानगंज तहसील ~~राजपुरा~~ जिला सतना म०प्र० -----निगरानीकर्ता

226  
24-4-14

बनाम

- ✓ 1. चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी
- 2. रामलाल त्रिपाठी
- 22-5-14 3. बालमोक त्रिपाठी    ॥ तीनों के पिता स्व० काली चरण त्रिपाठी
- 4. राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी
- 5. राजेश्वर प्रसाद
- 6. रामेश्वर प्रसाद    विपक्षित
- 7. रामेश्वर प्रसाद
- 8. शिवशंकर प्रसाद    ॥ 4 ता 8 के पिता स्व० रामरुचि प्रसाद
- 9. रामानन्द पिता रामकृपाल
- 10. रामजी त्रिपाठी तनय स्व० गुलाब प्रसाद त्रिपाठी
- 11. रघुवशरण पिता ॥ रघुनाथदीन त्रिपाठी

सभी निवासी करही हनुमानगंज तहसील ~~राजपुरा~~ जिला सतना म०प्र०

--गैरनिगरानीकर्ता गिण

निगरानी विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी  
महोदय तहसील अमरपाटन जिला सतना म०प्र०  
के अपील क्रमांक 114/अपील/11-12 में म्याद अधि  
धारा 5 का आवेदन आदेश दिनांक 15-4-14  
निरस्त किये जाने वाक्त्

देवातन्त्र

क. 1

अभिलेखों के नाम (नाम)

1. (1) शिव मन्दिर का पत्थर का देवता-स्तंभ 37 78.00 रु. (18.00 रु.)
  - (2) शिव मन्दिर का पत्थर का देवता-स्तंभ 37 55.00 रु.
  - (3) शिव मन्दिर का पत्थर का देवता-स्तंभ 37 62.00 रु.
  - (4) शिव मन्दिर का पत्थर का देवता-स्तंभ 37 40.00 रु.
  - (5) शिव मन्दिर का पत्थर का देवता-स्तंभ 37 45.00 रु.
  - (6) शिव मन्दिर का पत्थर का देवता-स्तंभ 37 46.00 रु.
  - (7) शिव मन्दिर का पत्थर का देवता-स्तंभ 37 38.00 रु.
  - (8) शिव मन्दिर का पत्थर का देवता-स्तंभ 37 36.00 रु.
  - (9) शिव मन्दिर का पत्थर का देवता-स्तंभ 37 32.00 रु.
  - (10) शिव मन्दिर का पत्थर का देवता-स्तंभ 37 30.00 रु.
  - (11) शिव मन्दिर का पत्थर का देवता-स्तंभ 37 28.00 रु.
  - (12) शिव मन्दिर का पत्थर का देवता-स्तंभ 37 24.00 रु.
- कुल मूल्य रु. 1,000.00


18.11.2018

11  
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक... R1588-II/2014.....जिला...सतरा

देवातल्य त्रिपाठी विरुद्ध चंद्रिका प्रसाद

1	2	3
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. <u>सतीश्वरी सिंह</u>..... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील <u>अमरपाल</u> के प्रकरण क्रमांक <u>114/अपीठ/11-12</u>..... में पारित आदेश दिनांक <u>15-4-2014</u>..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>सतरा</u>..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>25-03-2018</u>..... को कलेक्टर <u>सतरा</u>..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"> सदस्य</p>	

देवातल्य त्रिपाठी

धारा 5 का आवेदन प्राप्त। सतरा जिला  
विस्तृत किये जाने वाक्य।